न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

5/प्रा0पत्र/2023 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 17.01.2023 श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

रतनी बाई पत्नी लालचंद जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–प्रार्थिया

बनाम

1. दिनेश आ0 प्रभुलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
2. घींसी बाई पत्नी धन्नालाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
3. झमकू पुत्री धन्नालाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
4. सुनीता पुत्री धन्नालाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
5. भगवानदास पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
6. महावीर पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थिगण

अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा

अधिवक्ताः– 1. श्री महेन्द्र रेबारी(अधिवक्ता प्रार्थिया)

2. श्री बालकिशन रायका (अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1)
3. श्री घनश्याम सैनी(अधिवक्ता अप्रार्थी सं 6)
4. अप्रार्थी सं 2 लगायत 5 व 7(अनुपस्थित)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दिनांकः— 18.07.2024

निर्णय

प्रार्थिया ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1056/2 रकबा 2.08है0, खसरा संख्या 1057 रकबा 1.23है0 वाके ग्राम नौताडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि दिनांक 12.06.2008 को ज़र्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की है एवं काबिज क़ाश्त है। कृषि भूमि खसरा संख्या 1056/1 रकबा 1.22है0, खसरा संख्या 1058 रकबा 1.85है0 वाके ग्राम नौताडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2008 को क्रय की गई, के खातेदार टीनेन्ट माता मांगीबाई की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान अप्रार्थिगण 2 लगायत 6 है। प्रार्थिनी ने अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1056/2 रकबा 2.08है0 में से 0.54है0 का बैचान सन् 2010 में अप्रार्थी सं 1 दिनेश के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के किया था जिसका अंकन जमाबंदी में हो रहा है। इसी प्रकार अप्रार्थिगण 2 लगायत 6 की माता ने कृषि भूमि खसरा संख्या 1056/1 रकबा 1.22है0 में से 0.31 है0 का बैचान सन् 2010 में अप्रार्थी सं 1 दिनेश के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के किया था। कृषि भूमि खसरा संख्या 1056/1 रकबा 1.22है0, 1056/2 रकबा 2.08है0 का नक्शा में पृथक पृथक तरमीम नहीं हो रहा था किन्तु रतीन बाई व मांगी बाई ने मौके पर जमीन जिस हिसाब से खरीद की है उसके मुताबिक कब्जा काश्त है। जिसका नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है। नक्शा राजस्व विभाग से तरमीम नहीं किया गया जबकि प्रार्थिनी व अप्रार्थी सं 2 से 6 की माता मांगी बाई का करना चाहिये किन्तु नहीं करके अप्रार्थी सं 1 से मिलीभगत करके खसरा संख्या 1056/1, 1056/2, 1056/3, 1056/4 का बिना पक्षकार को सूचना दिये नक्शा में तरमीम करवा लिया है जो गलत एवं अवैध है। ऐसी तरमीम खारिज योग्य है तथा नियम अनुसार तरमीम की जायेगी तथा मोके पर जैसे पक्षकारान का कब्जा है उसके अनुसार नक्शा में अंकन किया जावेगा तो जिस प्रकार अंकन होगा उसका परिशिष्ट "बी" में दिया गया है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है। अप्रार्थी सं 1 ने जिस हिसाब से नक्शा तरमीम करवाया है उससे प्रार्थिनी व अप्रार्थिगण 2 ता 6 को नुकसान होगा। कृषि भूमि में स्थित धोरे पर अप्रार्थी सं 1 ने ही अंकन करवा लिया जबकि धोरे पर सभी पक्ष रहेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रार्थिनी व अप्रार्थिगण 2 ता 6 का रास्ता बंद हो जायेगा तथा सिंचाई से वंचित हो जायेगें। वर्तमान नक्शा ट्रेस किसी भी एंगल से सही नहीं है। पटवारी से नक्शा ट्रेस

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

216

की नकल दिनांक 29.08.2022 को प्राप्त करने पर पता चला कि अप्रार्थी सं 1 ने जो नक्शे में तरमीम करवायी है वह फर्जी व बनावटी है, अप्रार्थी सं 1 का उक्तानुसार कब्जा नहीं है। अप्रार्थिगण से तरमीम नक्शा सही करवाने का निवेदन करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रार्थिया ने अंतिम बार दिनांक 17.10.2022 को नक्शा ट्रेश दुरूस्त करवाकर परिशिष्ट "बी" के अुनसार करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु मना कर उल्टा कब्जा करने की धमकी दी गई। यही वाद का कारण है। प्रार्थिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय में दावा दायर कर गलत नक्शा तरमीम को सही करवाकर परिशिष्ट "बी" के मुताबिक तरमीम करावें। अन्त में प्रार्थिया ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं 1 को कृषि भूमि खसरा संख्या 1056/3 रकबा 0.31है0, खसरा संख्या 1056/4 रकबा 0.54है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85है0 वाके ग्राम नौताडा तहसील इन्द्रगढ़ बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि जब तक नक्शा दुरूस्ती, नक्शा तरमीम सही नहीं हो जाती अर्थात दावे का निर्णय तक उक्त कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे, किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बय, खुर्द बुर्द नहीं करें।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 2 लगायत 5 व 7 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं 6 ने इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में सहमति जाहिर की। अप्रार्थी सं 1 दिनेश ने जवाब पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी सं 1 ने मुताबिक विक्रय पत्र के भौतिक रूप से जिस हिसाब से कब्जा संभलाया गया है उसी रकबे अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम किया गया है। प्रार्थिया व अप्रार्थी सं 2 ता 6 की माता मांगीबाई कि विक्रय पत्रों के मुताबिक तरमिम अप्रार्थी पूर्व में भी काबिज काश्त थे और वर्तमान में भी है। प्रार्थिया ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं 1 को बेचान की गई कृषि भूमि पर बदयान्ति आ जाने के कारण तंग व परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। राजस्व रिकार्ड में विक्रयपत्र के मुताबिक रकबे पर कब्जा काश्त के मुताबिक नक्शा ट्रेस म तरमिम किया गया है। अप्रार्थी सं 1 का संयुक्त खाते में से अलग विधिवत विभाजन होकर खाते भी अलग–अलग हो चुके है अब कोई इन्द्राज दुरूस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र की आड में बेचान की हुई कृषि भूमि पर दुबारा कब्जा करना चाहती है। प्रार्थिया व अप्रार्थी सं 2 ता 6 उत्तरी नहर में से निकले पूर्वी धारे से पानी ले रहे है जिसका उल्लेख प्रार्थी ने अपने प्रार्थना में नहीं किया है। दिनांक 01.01.2023 को प्रार्थीया के पुत्र ने जबरन ताकत के बल पर अप्रार्थी के निजी धोरे

3/6

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

1057 रकबा 1.23 है0 वाके ग्राम

से जबरन पानी डालकर अपने में पिलाया जिससे मेरी बाई हुई गेंहू की फसल नष्ट हो गई जिसकी रिपोर्ट पुलिस विभाग मे दि हुई है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वाद पत्र में अंकित परिशिष्ट अ एवं ब मुताबिक कोई काब्जा काश्त नहीं है। खसरा सं 1056/3 व खसरा सं 1056/4 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं 1 के खातेदारी में राजस्व रिकार्ड दर्ज है खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर हमने विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थिया अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना में अंकित बिन्दुओं का दौहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं 1 को वादी विषयक कृषि भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि कि जब तक नक्शा दुरूस्ती, नक्शा तरमीम सही नहीं हो जाती अर्थात दावे का निर्णय तक उक्त कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थिया अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ(22) 2015 Page no 299 पेश किया। अप्रार्थिगण के अधिवक्ता ने प्रार्थिया अधिवक्ता बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं 1 ने मुताबिक विक्रय पत्र के भौतिक रूप से जिस हिसाब से कब्जा संभलाया गया है उसी रकबे अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम किया गया है। प्रार्थिया व अप्रार्थी सं 2 ता 6 की माता मांगीबाई कि विक्रय पत्रों के मुताबिक तरमिम अप्रार्थी पूर्व में भी काबिज काश्त थे और वर्तमान में भी है। प्रार्थिया ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वाद पत्र में अंकित परिशिष्ट अ एवं ब मुताबिक कोई काब्जा काश्त नहीं है। खसरा सं 1056/3 व खसरा सं 1056/4 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं 1 के खातेदारी में राजस्व रिकार्ड दर्ज है खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2023(2) Page no 1090, RRT 2023(2) Page no 938 पेश किए।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज, जवाब एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2074-77 वाके ग्राम नोताडा के खसरा

4/6

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

संख्या 1056/3 रकबा 0.31 है0, 1056/4 रकबा 0.54 है0 पर अप्रार्थी सं 1 दिनेश पुत्र प्रभुलाल बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2066–69 वाके ग्राम नौताडा के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 394 दिनांक 20.10.2010 से खसरा संख्या 1056/1 रकबा 1.22 है0 में से 0.31 है0 पर क्रेता दिनेश आ0 प्रभुलाल जाति माली सा0 गिरधरपुरा का नाम अंकित किया गया है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2066–69 वाके ग्राम नोताडा के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 395 दिनांक 20.10.2010 से खसरा संख्या 1056/2 रकबा 2.08 है0 में से 0.54 है0 पर क्रेता दिनेश आ0 प्रभुलाल जाति माली सा0 गिरधरपुरा का नाम अंकित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध प्रतिलिपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2010 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं 2 लगायत 6 की माता मांगी बाई ने वाके ग्राम नोताडा के खाता संख्या 53 खसरा संख्या 1056/1 रकबा 1.22 है0 में से 0.31 है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं 1 के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की गयी है। इसी प्रकार प्रतिलिपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया ने वाके ग्राम नोताडा के खाता संख्या 124 खसरा संख्या 1056/2 रकबा 2.08 है0 में से 0.54 है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं 1 के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की गयी है। जमाबंदी सम्वत् 2074–77 वाके ग्राम नोताडा के खसरा संख्या 1056/1 रकबा 0.91 है0, 1058 रकबा 1.85 है0 पर अप्रार्थी सं 2 लगायत 6 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2074–77 वाके ग्राम नोताडा के खसरा संख्या 1056/2 रकबा 1.54 है0, 1057 रकबा 1.23 है0 पर प्रार्थिया रतनी बाई पत्नी लालचन्द का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वाद विषयक कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं 1 दिनेश आ0 प्रभुलाल जाति माली सदभावी क्रेता होने से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है इस बाबत् प्रार्थिया व अप्रार्थी सं 2 ता 6 को भी कोई आपत्ति नहीं है। यहां वाद का प्रमुख कारण नक्शा ट्रेस में वाद विषयक खसरान 1056/3 व 1056/4 का गलत तरमिम किया जाना है जिससे प्रार्थिया द्वारा प्रार्थिनी व अप्रार्थिगण 2 ता 6 की कृषि भूमि पर जाने का रास्ता बंद हो जाना तथा सिंचाई से वंचित रहने संबंधी तथ्य अंकित किए है। प्रार्थिया प्रार्थना में संलग्न परिशिष्ट "ब्री" में दर्शाये गये नक्शे अनुसार अंकन करवाना चाहती है। हल्का पटवारी नोताडा धरावण द्वारा जारी नक्शा ट्रेस दिनांक 29.08.2022 के अवलोकन से उक्त नक्शा ट्रेस प्राथमिक दृश्ट्या तरमीम सही होना प्रतीत नहीं होता है साथ ही पत्रावली में हमारे समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि अप्रार्थी सं 1 का वाके ग्राम नौताडा में स्थित खसरा संख्या 1056/3 रकबा 0.31 है0, 1056/4 रकबा 0.54 है0 पर किस प्रकार से खाता अलग

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

संख्या 1056/3 रकबा 0.31 है0, 1056/4 रकबा 0.54 है0 पर किस प्रकार से खाता अलग पृथ्थक कर वाद विषयक खसरान की तरमीम राजस्व रिकार्ड के नक्शे ट्रेस में की गयी है। प्रार्थिया ने वर्तमान नक्शे ट्रेस की तरमीम से प्रार्थिया की कृषि भूमि पर जाने का रास्ता वंद हो जाना तथा सिंचाई से वंचित रहने संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य अंकित किए है। प्राथमिक दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी सं 1 के द्वारा वाद विषयक कृषि भूमि का बैचान किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है तो प्रार्थिया को अपूर्णिय क्षति होने की पूरी संभावना प्रतीत होती है। प्रार्थिया का प्रार्थना आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह कृषि भूमि खसरा संख्या 1056/3 रकबा 0.31है0, खसरा संख्या 1056/4 रकबा 0.54है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85है0 वाके ग्राम नौताडा तहसील इन्द्रगढ़ की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखें, परिवर्तन न जो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 18–07–2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अहकाम ... में जारी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]-7-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 9-07-24 को पेश हो।	
9-07-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक 18-07-24 को पेश हो।	
18-07-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली में पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई थी आज आदेश सुनाए जाने हेतु पेश हुई प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	